## Form 21C

(See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section of the Representation of the People Act,1951

Election to the Legisletive Assembly of **Rajasthan** State from the **15-Kolayat** Assembly constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act,1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules,1961, I declare that-

#### Shri ANSHUMAN SINGH BHATI

### BARSALPUR HOUSE, OUTSIDE JASSUSAR GATE, BIKANER

Sponsored by **BHARATIYA JANATA PARTY** has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place: Kolayat

Dated: 03-12-2023

(Rajendra Kumar II) [Returning Officer]

Kolayat (015)

### प्ररूप 21 ग

# (नियम64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन मेंउपयोग के लिए, जब स्थान सविरोधहो )

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम,1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन परिणाम की घोषणा |
15 - कोलायत विधानसभा निर्चाचन क्षेत्र से राजस्थान (राज्य) की विधान सभा के लिए
निर्चाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधो के अनुसरण में , मैं घोषणा करता हूँ कि –

श्री अंशुमान सिंह भाटी

बरसलपुर हाउस, जस्सूसर गेट के बाहर, बीकानेर

द्वारा प्रयोजित भारतीय जनता पार्टी द्वारा खडे किए गए/ की गई हैं।

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए/गई हैं।

स्थान : कोलायत

दिनांक: 03-12-2023

(राजेन्द्र मार ॥)

[रिटर्निग ऑफिसर]

कोलायत (015)